संख्या- 679 /1678/41-1-2024-1798771-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांक 22 जुलाई, 2024

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद झांसी में स्थित झरना मेला ग्राउण्ड में पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1704/ मु0प0वि0स0यो0/93-झांसी/2023, दिनांक 27 जून, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 'मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना' के अन्तर्गत जनपद झांसी में स्थित झरना मेला ग्राउण्ड में पर्यटन विकास कार्य को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत 'मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना' के अन्तर्गत जनपद झांसी में स्थित झरना मेला ग्राउण्ड में पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-343/952/41-1-2024-1798771-2024 दिनांक 14-03-2024 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-343/952/41-1-2024-1798771-2024 दिनांक 14-03-2024 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 0.75 लाख (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) को मय ब्याज सहित 03 दिन के अन्दर राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, झांसी ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ ।
6. सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9. निदेशक, पर्यटन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6, 7 एवं 8 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।